

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

//आदेश//


D/2163  
क्रमांक...../चार-12-14/10

जबलपुर, दिनांक...../09/2022

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 573/गोपनीय/2022, जबलपुर दिनांक 23.05.2022 द्वारा श्री पंकज जायसवाल, तत्कालीन प्रथम सिविल जज, सीनियर डिवीजन एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत होने के फलस्वरूप उच्चतर न्यायिक सेवा के एंटी वेतनमान रूपये 51550-1230-58930-1380-63070/- में उनके वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

वेतनमान रु 39530-54010 में प्राप्त वेतन एवं दिनांक	उच्च न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, पदनाम एवं पदोन्नति का स्थान	निर्धारित वेतन	देय दिनांक	आगामी वेतनवृद्धि का दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
43690/- 27.05.2021	28.05.2022 (दोपहर पश्चात्) जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर	51550/-	29.05.2022	स्थायीकरण प्रमाण पत्र जारी होने पर विचारण योग्य।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,


  
(अजय पवार)  
रजिस्ट्रार(एम)

पृष्ठांकन क्रमांक D/2164  
...../चार-12-14/10

जबलपुर, दिनांक...../09/2022

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री पंकज जायसवाल, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य मेंसमस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

  
रजिस्ट्रार(एम)